विचार बिन्दु

व्यवसाय समय का यन्त्र है। –नेपोलियन

चुनावी चंदा, काले – सफेद का धंधा

भारत में कई तरह के राजनैतिक दल हैं। इन्हें मुख्यतया तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली, पंजीकृत राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल, दूसरी, पंजीकृत राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल और तीसरी, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। पहली श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं। दूसरी श्रेणी में तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल (यू) जैसे अन्य दल हैं। तीसरी यानी पंजीकृत किंतु गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 3260 है।

राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने के लिए, आयकर अधिनियम में व्यक्तियों, कंपनियों एवं अन्य के द्वारा चंदा दिए जाने के संबंध में प्रावधान हैं। बड़े–बड़े उद्योगपति, व्यवसाई राजनीतिक दलों को प्रारंभ से चंदा देते आए हैं । इस बारे में इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम भी भारत सरकार ने बनाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया था। स्कीम के अंतर्गत अधिकांश चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था।

चंदे की राशि राजनीतिक दलों को चुनाव में खर्च करने हेतु मिलती है। सामान्यतः चंदा, सत्ताधारी दल को अधिक मिलता है क्योंकि व्यापारिक हित साधने में सत्ताधारी दल ही अधिक सहायता कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग में पंजीकृत किसी भी राजनीतिक दल को दिया गया चंदा आयकर से पूरी तरह मुक्त होता है, अर्थात जो भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को चंदा देगा उसकी आय में से वह राशि कम कर दी जाती है। उसी के अनुसार उसे आयकर में मुक्ति मिल जाती है।

आज हम चुनाव लड़ने वाली मान्यता प्राप्त बड़ी पार्टियों को मिलने वाले चंदे की बात नहीं करेंगे। इस लेख में हम उस चुनावी चंदे की बात करेंगे जो पंजीकृत किंतु गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मिलता है। इन्हें संक्षेप में RUPP (Registered, Unrecognised Political Party) कहा जाता है। इन पार्टियों में अधिकांश तो ऐसी हैं, जिनका शायद किसी ने कभी नाम ही न सुना हो। ये दल कभी–कभार किसी चुनाव में एक या दो उम्मीदवार उतारते हैं। कई ने तो आज तक कोई उम्मीदवार किसी चुनाव में उतारा ही नहीं।

बीबीसी चैनल के एक पत्रकार ने जब इन दलों को मिलने वाले चंदों के बारे में खोज बीन की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सर्वाधिक चंदा प्राप्त करने वाले इन दलों में प्रथम 6 का मुख्यालय गुजरात में अहमदाबाद के पास नरोड़ा में है।

इन आर यू पी पी की चर्चा हाल ही में बहुत अधिक हो रही है । इन दलों को कुल मिलाकर लगभग 1700 करोड़ से अधिक का चुनावी चंदा वर्ष 2023–24 में मिला। जब बीबीसी की पत्रकार इनके मुख्यालय पर गई तो इनमें ताला लगा मिला या किसी बहुत छोटे से कमरे में कार्यालय चलता हुआ मिला,जबकि इन्हें चंदा करोड़ों में मिला।

पाठकों को शायद पता होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को दिए जाने वाला चंदा आय कर अधिनियम की धारा 80 जी जी सी के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर मुक्त है। मजे की बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और अन्य विकास कार्यों में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को यदि कोई चंदा देता है तो उसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत कुल चंदे के 50 प्रतिशत पर ही छूट मिलती है।

यह जानना दिलचस्प होगा कि वर्ष 2023–24 में किन गैर मान्यता प्राप्त दलों को 100 करोड़ रुपए से अधिक चंदा मिला।जिन 6 रजिस्टर्ड unrecognised राजनीतिक दलों को वर्ष 2023–24 में 100 करोड़ रुपए से अधिक चंदा मिला, उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. आम जनता पार्टी 620 करोड़ रुपए, 2. सत्यवादी रक्षक पार्टी 330 करोड़ रुपए, 3. स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी 219 करोड़ रुपए, 4. न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी 200 करोड़ रुपए , 5. भारतीय नेशनल जनता दल 191 करोड़ रुपए, 6. गरीब कल्याण पार्टी 138 करोड़ रुपए

वर्ष 2023–24 में अपंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को कुल 1700 करोड़ रुपए का चंदा मिला जो भाजपा को छोड़ कर शेष सभी राष्ट्रीय पार्टियों को प्राप्त कुल चंदे से भी अधिक था।

यह प्रश्न भी विचारणीय है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाला चंदा आयकर से मुक्त क्यों होना चाहिए? जब शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगी संस्थानों में दिए जाने वाला चंदा भी 50 प्रतिशत तक ही आयकर से मुक्त है तो, राजनीतिक दलों, विशेष कर फर्जी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर 100 प्रतिशत की छूट क्यों हो?

जिन लोगों ने यह चंदा दिया, उन्हें इस पूरी रकम पर आयकर से छूट मिल गई। आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक आय वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी को 30 प्रतिशत का आयकर देना होता है। इस पर 37 प्रतिशत सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस मिलकर यह 42.3 प्रतिशत हो जाता है। इस प्रकार 5 करोड़ से अधिक चंदा देने वाले को आय कर में लगभग 2 करोड़ की छूट मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति 10 करोड रुपए चंदा देता है तो उसे आयकर में 4 करोड़ से अधिक की बचत हो जाएगी। वास्तविकता यह है कि जिन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को यह चंदा मिलता है वह प्राप्त कुल राशि का लगभग 5–7 प्रतिशत काटकर नकद में पूरा वापस दानदाता को लौटा देती हैं। इस प्रकार दलों का काला धन, सफेद में परिवर्तित हो जाता है। दान देने वाले को आयकर से मुक्ति मिल जाती है। वह नकद प्राप्त राशि को ऐशो आराम में खर्च कर सकता है। वैसे भी भारत में अभी भी कई सौदे नकद में ही होते हैं।

जब बीबीसी के पत्रकार ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के पदाधिकारी से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि वे भाजपा से संबंधित हैं। सबसे अधिक चंदा प्राप्त करने वाले 6 ऐसे दलों में से चार का पंजीकरण अहमदाबाद के नरोडा में है। यह संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी गुजरात से हैं और वहीं पर ऐसे दलों का पंजीकरण है जो बिना कोई चुनाव लड़े भी प्रतिवर्ष सैकड़ो करोड़ का चंदा प्राप्त कर रहे हैं।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई अनियमितता होने पर देय आयकर पर दोगुना पेनल्टी लगती है। यदि आयकर विभाग और अन्य एजेंसी निष्पक्षता से इन दाताओं की जांच करती तो, इन सब पर देय आयकर की 200 प्रतिशत अर्थात दुगनी राशि पेनल्टी के रूप में वसूल की जा सकती थी। इस प्रकार, चंदे की लगभग पूरी राशि पेनल्टी के रूप में वसूल की जा सकती थी। इससे आयकर विभाग को हजारों करोड रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता।

आयकर कानून के प्रावधानों का गलत उपयोग करने वाले पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर उसे लिए 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान भी किया गया है। क्योंकि इतना अधिक चंदा प्राप्त करने वाले ये सभी राजनीतिक दल और चंदा देने वाले गुजरात से ही हैं, अतः किसी प्रकार की कोई आपराधिक कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई।

इस पूरे गोरख धंधे में चार्टर्ड अकाउंटेट की सक्रिय भागीदारी होती है। इनके 'मार्गदर्शन' के बिना यह संभव नहीं है। यूं कहें कि, वे ही इसके सूत्रधार होते हैं, तो गलत नहीं होगा। ऐसे सी ए का लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए।

कुल मिलाकर, यह पूरा खेल पूंजी पतियों के लिए अपनी आयकर देयता से बचने का और राजनीतिक दलों के लिए, विभिन्न तरीकों से अर्जित काले धन को सफेद में परिवर्तित करने का माध्यम बन कर रह गया है।

चुनाव आयोग ने भी इस बात की कोई जांच करने की परवाह नहीं की, कि जो दल सैंकडों करोड़ रुपए का चंदा प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं, उनका खर्चा कहां और किस प्रकार से हो रहा है? क्या ऐसे दलों का पंजीकरण तत्काल निरस्त नहीं कर देना चाहिए था?

यह प्रश्न भी विचारणीय है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाला चंदा आयकर से मुक्त क्यों होना चाहिए? जब शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगी संस्थानों में दिए जाने वाला चंदा भी 50 प्रतिशत तक ही आयकर से मुक्त है तो, राजनीतिक दलों, विशेष कर फर्जी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर 100 प्रतिशत की छूट क्यों हो?

आयकर चोरी और काले सफेद का यह धंधा, सालों से चुनाव आयोग और आयकर विभाग की नाक के नीचे अनवरत रूप से चल रहा है और फिर भी आयकर कानून में संशोधन करने की कोई बात नहीं की जा रही है । निर्वाचन आयोग भी एक प्रकार से धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठा है।

अब, जबकि,बी बी सी द्वारा यह तथ्य सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाया जा चुका है, तो क्या जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया, उन पर पेनल्टी के रूप में आयकर वसूल किया जाएगा और उनके पदाधिकारी की जाँच की जाएगी? चंदा देने वालों के नाम भी सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाने चाहिए ताकि इस प्रकार के धंधे में लिप्त लोगों को शर्मिंदा किया जा सके तथा यह भी पता चल सके कि उन्हें किन बड़े राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त था? एक बार जब इस प्रकार की कठोर कार्यवाही होगी तो अपने आप इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। यही निष्पक्ष चुनावों और लोकतंत्र के हित में होगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ब्रिक्स अनाज विनिमय : भारतीय कृषि व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अवसर

प्रोफेसर पी. सी. कंठालिया

वैश्विक भू–राजनीति और आर्थिक समीकरणों में 21वीं सदी के सबसे बड़े बदलावों का गवाह आज पूरा विश्व बन रहा है। इस बदलाव के केंद्र में है ब्रिक्स संगठन, जो अब विकासशील देशों की आवाज़ से आगे बढ़कर वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक व्यवस्था को एक नया विकल्प देने की स्थिति में आ चुका है। इस दिशा में जो सबसे क्रांतिकारी और दूरगामी कदम उठाया गया है, वह है ब्रिक्स अनाज विनिमय समझौता।

हाल ही में नई दिल्ली घोषणापत्र (सितंबर 2026) में इस डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अंतिम रूप देने और इसे तेजी से लागू करने पर जो आम सहमति बनी है, उसने वैश्विक कृषि बाजार में हलचल पैदा कर दी है। भारत जैसे कृषि–प्रधान देश के लिए यह समझौता केवल एक राजनयिक सफलता नहीं है, बल्कि यह देश के कृषि निर्यातकों, अनाज व्यापारियों, एग्री–स्टार्टअप्स और अंततः करोड़ों किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। यह पहल न केवल वैश्विक अनाज बाजार में दशकों से चले आ रहे पश्चिमी देशों के एकाधिकार को चुनौती देगी, बल्कि भारतीय अनाज व्यापारियों को अधिक मुनाफा, व्यापारिक स्वतंत्रता और सुरक्षा भी प्रदान करेगी।

आइए अत्यंत व्यावहारिक उदाहरणों के साथ गहराई से समझते हैं कि यह ऐतिहासिक समझौता भारतीय अनाज व्यापार के परिदृश्य को किस तरह बदलने जा रहा है:

बिचौलियों का वैश्विक संजाल ध्वस्त: अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक सीधी डिजिटल पहुंच

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार व्यवस्था अत्यंत जटिल और खर्चीली है। आज यदि भारत का कोई व्यापारी किसी दूसरे महाद्वीप के देश को अनाज बेचना चाहता है, तो चाहकर भी वह ऐसा सीधे नहीं कर सकता। उसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका या यूरोपीय देशों में स्थित बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्मों के नेटवर्क से गुजरना पड़ता है। ये वैश्विक बिचौलिए जहाजों की बुकिंग से लेकर क्रेडिट लेटर जारी करने तक, हर स्तर पर अपना मोटा कमीशन वसूलते हैं। इसके कारण भारतीय व्यापारी का वास्तविक मुनाफा बेहद सिकुड़ जाता है।

कल्पना कीजिए कि पंजाब या उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अनाज निर्यातक मिस्र या ब्राजील की किसी सरकारी या निजी कंपनी को 50,000 टन गैर–बासमती चावल निर्यात करना चाहता है। वर्तमान व्यवस्था में उसे किसी वैश्विक एग्री–जायंट कंपनी को बीच में लाना होगा, जो कुल सौदे का 3 से 5 प्रतिशत तक कमीशन खा जाती है। लेकिन ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज पूरी तरह से एक अत्याधुनिकडिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यह सीधे उत्पादक देशों के व्यापारियों को खरीदार देशों के आयातकों से एक क्लिक पर जोड़ देगा। इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय निर्यातक बिना किसी विदेशी ब्रोकर के, सीधे मिस्र के खरीदार से डिजिटल एग्रीमेंट करेगा। बिचौलियों के हटने से जो करोड़ों रुपये की बचत होगी, वह सीधे भारतीय व्यापारी के मुनाफे में जुड़ेगी और व्यापारी किसानों को भी फसल का बेहतर दाम दे पाएंगे।

शिकागो के सट्टेबाजों से मुक्ति: निष्पक्ष और वास्तविक मूल्य निर्धारण

अब तक दुनिया भर में अनाज की कीमतें कैसे तय होती हैं? इसका फैसला भारत, रूस या ब्राजील के खेतों में नहीं, बल्कि अमेरिका केशिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जैसे पश्चिमी कमोडिटी एक्सचेंजों में होता है। विडंबना यह है कि इन एक्सचेंजों में कीमतें वास्तविक मांग और आपूर्ति से ज्यादा वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों, हेज फंड्स और वित्तीय हेरफेर के आधार पर तय होती हैं। कई बार भारत में बंपर पैदावार होने के बावजूद, शिकागो मार्केट में कृत्रिम मंदी के कारण भारतीय व्यापारियों को वैश्विक बाजार में औने–पौने दाम पर अनाज बेचना पड़ता है।

चूंकि नए सदस्यों के शामिल होने के बाद ब्रिक्स देश अब दुनिया के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिकऔर वैश्विक अनाज खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सानियंत्रित करते हैं, इसलिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज अपना खुद कान्यायसंगत मूल्य संकेतक विकसित कर रहा है।

मान लीजिए कि किसी साल अमेरिका या यूरोप में भू–राजनीतिक तनाव या वित्तीय सट्टेबाजी के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की कीमतें अचानक 25 प्रतिशत गिर जाती हैं। वर्तमान में, भारतीय व्यापारी को भी अपना गेहूं सस्ते में बेचना पड़ता है। लेकिन ब्रिक्स एक्सचेंज लागू होने के बाद, चूंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है और भारत–चीन सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, ये देश आपस में मिलकर अपनी वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर एक स्वतंत्र और स्थिर मूल्य तय करेंगे। पश्चिमी देशों की कृत्रिम मंदी या सट्टेबाजी का भारतीय व्यापारियों के सौदों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे उनका व्यापारिक जोखिम लगभग शून्य हो जाएगा।

डॉलर का वर्चस्व खत्म: रुपया–रूबल और स्थानीय मुद्राओं में सुरक्षित व्यापार

भारतीय कृषि निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हमेशा से विदेशी मुद्रा का उतार–चढ़ाव रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की अनिवार्यता के कारण, भारतीय व्यापारियों को पहले अपनी धनराशि को डॉलर में बदलना पड़ता है और फिर सामने वाला देश उसे अपनी करेंसी में बदलता है। इस प्रक्रिया में दोहरी मार पड़ती है–एक तो बैंकों का भारी–भरकम करेंसी कन्वर्शन चार्ज और दूसरा, डॉलर की कीमत में होने वाले दैनिक उतार–चढ़ाव का जोखिम। यदि सौदा करने और भुगतान मिलने के बीच डॉलर मजबूत या कमजोर हो गया, तो व्यापारी का पूरा गणित बिगड़ जाता है।

ब्रिक्स अनाज विनिमय का सबसे मजबूत स्तंभडी–डॉलरलाइजेशन है, यानी व्यापार को अमेरिकी डॉलर के चंगुल से निकालकर सदस्य देशों की स्थानीय मुद्राओं (जैसे भारतीय रुपया, रूसी रूबल, चीनी युआन) में शिफ्ट करना।

मध्य प्रदेश या राजस्थान का एक व्यापारी रूस से रियायती दरों पर पीली मटर या सूरजमुखी का कच्चा तेल आयात करना चाहता है। वर्तमान में उसे भारतीय बैंक से डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी का खतरा रहता है। ब्रिक्स एक्सचेंज के तहत, वह सीधेरुपया–रूबल मैकेनिज्म या ब्रिक्स पे डिजिटल सिस्टम का उपयोग करेगा। वह भारत में अपने बैंक खाते से रुपये में भुगतान करेगा, जो सीधे रूसी निर्यातक को रूबल में मिल जाएगा। इससे न केवल डॉलर विनिमय की ऊंची लागत बचेगी, बल्कि पश्चिमी प्रतिबंधों का डर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और व्यापार निर्बाध रूप से चलेगा।

बहु–वस्तु विस्तार: बासमती से लेकर मसालों और कपास तक के रास्ते खुले

हालांकि इस समझौते की रूपरेखा में प्राथमिक ध्यान बुनियादी अनाजों जैसे गेहूं, चावल, मक्का और जौ पर दिया गया है, लेकिन इसका विज़न इससे कहीं अधिक व्यापक है। ब्रिक्स देशों के बीच बनी सहमति के अनुसार, शुरुआती चरण के सफल संचालन के बाद इस डिजिटल विनिमय मंच का विस्तार अन्य उच्च मूल्य वाली कृषि जिंसों तक किया जाएगा। यह भारत के विभिन्न राज्यों के विशिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार के द्वार खोल देगा।

हरियाणा और दिल्ली के बासमती चावल निर्यातक, केरल के मसाला व्यापारी, असम के चाय निर्यातक और गुजरात के कपास व्यापारी जो अब तक अलग–अलग देशों के कठिन नियमों और कागजी कार्रवाई से जूझते थे, वे सभी इसी एक ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि गुजरात के एक व्यापारी को दक्षिण अफ्रीका या ईरान को कपास निर्यात करना है, तो उसे हर देश के लिए अलग से कागजी झंझट नहीं करना होगा। ब्रिक्स एक्सचेंज के एकीकृत नियमों के कारण, वह एक ही बार में पूरे ब्रिक्स ब्लॉक के देशों में अपना माल बिना किसी बाधा के बेच सकेगा।

चुनौतियाँ और आगे की राह

निश्चित रूप से, इस प्रकार के विशाल बहुपक्षीय विनिमय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सदस्य देशों के बीच गुणवत्ता के मानकों को एक समान करना, एक साझा डिजिटल लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग सिस्टम बनाना और स्थानीय मुद्राओं के निपटान के लिए केंद्रीय बैंकों के बीच रीयल–टाइम समन्वय स्थापित करना अभी बाकी है। भारत सरकार को चाहिए कि वह देश के भीतर भंडारण सुविधाओं और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करे ताकि इस एक्सचेंज से मिलने वाले भारी ऑर्डर को समय पर पूरा किया जा सके।

निष्कर्ष– ब्रिक्स अनाज विनिमय समझौता केवल एक व्यापारिक संधि नहीं है, बल्कि यह वैश्विक कृषि–अर्थव्यवस्था के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। यह भारतीय कृषि–व्यापार को आत्मनिर्भर, लचीला और वैश्विक झटकों से सुरक्षित बनाने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है।

पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के एकाधिकार को तोड़कर, यह डिजिटल मंच भारतीय व्यापारियों को एक ऐसा पारदर्शी, सुरक्षित और अत्यंत कम लागत वाला बाजार दे रहा है, जिसकी कल्पना आज से एक दशक पहले असंभव थी। जब भारतीय अनाज व्यापारियों की तिजोरी इस व्यवस्था से भरेगी, तो इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव देश के ग्रामीण अंचलों तक पहुंचेगा, जिससे भारत के अन्नदाता किसानों को उनकी मेहनत का उचित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल सकेगा। यह वास्तव में भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए ग्लोबल होने का सबसे सही समय है।

–प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया,
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, उदयपुर

राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों में पेंशन संकट : अब स्थायी समाधान का समय

प्रो. डॉ. आर. एम. शर्मा

राजस्थान में उच्च शिक्षा के विस्तार की कहानी संस्थागत विस्तार, भौगोलिक विस्तार और सार्वजनिक निवेश की कहानी है। 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और बाद में अजमेर, बीकानेर, कोटा सहित अनेक स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना तक – राज्य ने उच्च शिक्षा का व्यापक नेटवर्क खड़ा किया। यह विस्तार निस्संदेह एक उपलब्धि है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य ने इन संस्थानों को उतना ही मज़बूती से वित्तीय रूप से टिकाऊ भी बनाया, जितना उसने इन्हें स्थापित किया। इस असफलता का सबसे स्पष्ट संकेत है राज्य–वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में बढ़ता पेंशन भुगतान संकट।

संकट के आंकड़े – राज्य विश्वविद्यालयों के लगभग 8,000 पेंशनभोगियों को वर्तमान में कुल लगभग 500 करोड़ वार्षिक पेंशन का भुगतान होता है – जो राज्य के कुल पेंशन व्यय का 2 प्रतिशत से भी कम है। यह केवल वित्तीय बोझ का सवाल नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत सीमित व्यय से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रश्न है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना ने पुराने विश्वविद्यालयों की संबद्धता और परीक्षा आय जैसे स्त्रोत घटाए हैं, जबकि उनके पेंशन दायित्व यथावत बने हुए हैं। वर्तमान आय घट–बढ़ सकती है, पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन देयता कभी समाप्त नहीं होती – बल्कि महंगाई राहत, वेतन संशोधन और पारिवारिक पेंशन जैसे कारणों से यह बढ़ती ही जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करना अव्यावहारिक है कि वह अपने सीमित आंतरिक संसाधनों से पूरी पेंशन देयता वहन करे।

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। धारा 36 के तहत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का प्रावधान है, और 1990 से पेंशन नियम लागू हैं – लेकिन पेंशन निधि की कमी पूरी करने के लिए राज्य के स्पष्ट और निरंतर वित्तीय अंशदान की कोई ठोस वैधानिक गारंटी उपलब्ध सामग्री में नहीं मिलती। यही समस्या राजस्थान विश्वविद्यालय, एमएलएसयू, वीएमओयू, एमडीएसयू, एसकेआरएयू सहित राज्य के अधिकांश प्रमुख विश्वविद्यालयों में देखी जाती है – यह किसी एक संस्थान की नहीं, बल्कि संरचनात्मक समस्या है।

पेंशन कोई कृपा नहीं, अधिकार है –सर्वोच्च न्यायालय ने Deokinandan Prasad v. State of Bihar (1971) में स्पष्ट किया कि पेंशन एक मूल्यवान अधिकार है, कोई सरकारी कृपा नहीं। D.S. Nakara v. Union of India (1983) में संविधान पीठ ने पेंशन को सामाजिक सुरक्षा का दर्जा दिया।प्रभु नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) में कहा गया कि पेंशन का अधिकार लागू नियमों के अंतर्गत स्थापित होना चाहिए। सवाल अब यह नहीं कि अधिकार है या नहीं – सवाल यह है कि इसका नियमित और समयबद्ध भुगतान कैसे सुनिश्चित हो।

पेंशन में देरी केवल लेखा–जोखा की समस्या नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन ही आय का मुख्य स्त्रोत है – भोजन, आवास, चिकित्सा और पारिवारिक आवश्यकताओं का आधार। लंबे समय तक भुगतान न होना वृद्ध नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और गरिमा, दोनों को प्रभावित करता है। पेंशनभोगियों ने चुप्पी नहीं साधी है। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा विभाग को बार–बार ज्ञापन दिए गए हैं, प्रतिनिधिमंडलों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है, और जोधपुर में लगभग 90 दिनों तक शांतिपूर्ण धरना भी चला – फिर भी स्थायी समाधान अब तक सामने नहीं आया।

अन्य राज्यों का अनुभव – तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि राजस्थान से किसी पूरी तरह नई व्यवस्था की मांग नहीं है – कई राज्यों में पहले से ऐसे मॉडल मौजूद हैं। असम में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की पेंशन देयता के लिए सरकारी अनुदान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पेंशन–ग्रेच्युटी निधि की कमी पूरी करने हेतु सरकारी सहायता की व्यवस्था है। पंजाब में राज्य का सीपीएफ में मिलान अंशदान पेंशन निधि के लिए वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जाता है। गुजरात और गोवा में विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर सीधे सरकारी पेंशन–कोषागार व्यवस्था लागू है, जबकि महाराष्ट्र और त्रिपुरा में राज्य पेंशन नियमों का विस्तार विश्वविद्यालय कर्मचारियों तक किया गया है। राजस्थान को किसी एक मॉडल की यांत्रिक नकल करने की आवश्यकता नहीं – वह अपनी परिस्थितियों के अनुरूप इनमें से एक या अनेक मॉडलों को मिलाकर नई व्यवस्था बना सकता है।

जहां सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों को राज्य कोषागार से सीधे पेंशन मिलती है, वहीं राज्य विश्वविद्यालयों के पेंशनभोगी संबंधित संस्थान की अनिश्चित वित्तीय स्थिति पर निर्भर क्यों रहें – यह प्रश्न सार्वजनिक उच्च शिक्षा व्यवस्था के भीतर समानता का एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है।

चार व्यावहारिक समाधान

राज्य सरकार निम्न में से किसी एक या संयुक्त व्यवस्था पर विचार कर सकती है:

1. पेंशन निधि की कमी पूरी करने के लिए नियमित अनुदान
2. स्थायी राज्य–विश्वविद्यालय पेंशन कॉर्पस फंड की स्थापना
3. बीमांकिक आधार पर तय अनुपात में राज्य का नियमित प्रतिशत अंशदान
4. सरकारी महाविद्यालयों के समान पात्र पेंशनभोगियों को राज्य कोषागार के माध्यम से सीधा भुगतान

चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ा जा सकता है – पहले तत्काल विशेष सहायता से लंबित बकाया चुकाया जाए, फिर अंतरिम अवधि में नियमित मासिक पेंशन की गारंटी दी जाए, और मध्यम–दीर्घावधि में स्थायी कॉर्पस फंड व अंशदान सूत्र स्थापित हो।

साथ ही, भविष्य में जब भी नए विश्वविद्यालय स्थापित हों या पुनर्गठन हो, पुराने विश्वविद्यालयों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव और उनकी ऐतिहासिक पेंशन देयता का आकलन पहले से किया जाना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि पेंशन व्यय को विश्वविद्यालय के सामान्य बजट से अलग रखा जाए, ताकि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शोध और छात्र–सुविधाओं पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।

निष्कर्ष– आज पेंशन की मांग करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान की विश्वविद्यालयीय व्यवस्था को अपने हाथों से गढ़ा – जब संसाधन सीमित थे और संस्थान छोटे थे। यह मुद्दा केवल लेखा–बजट का नहीं, राज्य और उन नागरिकों के बीच के रिश्ते का है जिन्होंने उसकी सेवा की। पेंशनभोगी भले ही एक छोटा निर्वाचन–समूह हों, पर इसमें निहित सिद्धांत बहुत बड़ा है – सुशासन की असली परीक्षा यही है कि सरकार उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है जिन्होंने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष सार्वजनिक सेवा को समर्पित किए।

राजस्थान ने उच्च शिक्षा का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। अब उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अपने द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को टिकाऊ बना सकता है, और उन लोगों के प्रति अपना दायित्व निभा सकता है जिन्होंने इन संस्थानों का निर्माण किया।

"उच्च शिक्षा का विस्तार तब तक पूर्ण नहीं है, जब तक राज्य उन लोगों की सेवानिवृत्ति सुरक्षित नहीं करता जिन्होंने अपना कार्यजीवन उसके विस्तार में लगा दिया।" तात्कालिक और अस्थायी सहायता का समय बीत चुका है। अब एक स्थायी, राज्य–समर्थित विश्वविद्यालय पेंशन नीति का समय आ गया है।

–प्रो. डॉ. आर. एम. शर्मा,
पूर्व विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन संकाय,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 15 सितम्बर, 2026

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुरथी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत–2083, स्वाती नक्षत्र, दिन 3:21 तक, ऐन्द्रयन योग दिन 12:20 तक, विष्टि करण प्रातः 7:45 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–तुला, मंगल–मिथुन, बुध–कन्या, गुरू–कर्क, शुक्र–तुला, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज राजयोग दिन 3:21 तक है। कुमार योग दिन 3:21 से आरम्भ होगा। आज भद्रा 7:45 तक है। आज ऋषि प्रचमी, भाई पाँच, जैन संवत्सरी (पंचमी पक्ष), ऋषि अंगिरा जयन्ती, रक्षा पंचमी, गुरू पंचमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर 9:19 से 10:51 तक, लाभ–अमृत 10:51 से 1:54 तक, शुभ 3:25 से 4:57 तक।

राहुकाल– 3:00 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:28

मेष
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। आज परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। घर–परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क
घर–परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

सिंह
शुभ कार्यों के लिए यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

तुला
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
घर–परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण वार्ता हो सकती है और महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।